न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. अजयपाल सिंह पुत्र गुरशरण सिंह जाति जटसिख निवासी 42 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. अरीदमन सिंह पुत्र गुरशरण सिंह जाति जटसिख निवासी 42 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 19.01.2021

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा, रोशन लाल राठौड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 14.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 42 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 18/20 के मुरब्बा नम्बर 17 के 3.162 हैक्टर नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 18 के 6.323 हैक्टर नहरी कुल 9.485 हैक्टर नहरी रकबा में गुरशरण सिंह पुत्र निरजन सिंह 500 हिस्सा का तथा वादी अजयपाल सिंह व प्रतिवादी अरीदमन सिंह पिसरान गुरशरण सिंह 250 हिस्सा में बराबर के सहखातेदार दर्ज थे। इस भूमि का विशेष अभियान 2006 के तहत विधिक बंटवारा होने के उपरान्त मुरब्बा नम्बर 18 के 6.323 हैक्टर नहरी रकबा सहखातेदार गुरशरण सिंह पुत्र निरजन सिंह के हिस्सा में आया तथा मुरब्बा नम्बर 17 कर 3.162 हैक्टर नहरी रकबा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आया, जिसका इन्तकाल नम्बर 264 दर्ज हुआ और इस इन्तकाल के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 के खाता संख्या 11 व 12 में मुरब्बा नम्बर 17 की 3.162 हैक्टर नहरी भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई और इस तरह वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर-बराबर का सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ। जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के बाद बनने वाली जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 में वादी का नाम हटा दिया गया और चक 42 एफ के मुरब्बा नम्बर 17 का 3.162 हैक्टर रकबा केवल प्रतिवादी अरीदमन सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया जो कि एक टकंनीय त्रुटि के कारण सहवन से हुआ है। उसके बाद की बनने वाली जमाबन्दीयों में उक्त त्रुटि लगातार दोहराई जाती रही। जिस कारण वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 5/9 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11,12,13 आधा, 19,20,21,22 सालम-सालम कुल 3.162 हैक्टर रकबा अकेले प्रतिवादी अरीदमन सिंह के नाम दर्ज हो गया है। जबकि इस रकबा में वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार है। वादी ने बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त [illegible] 42 एफ के मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 3.162 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा [illegible] दर्ज नहीं है। जमाबन्दी से वादी का नाम हटाया जा चुका [illegible] कहा कि जमाबन्दी में मेरा नाम कैसे हटा दिया गया [illegible] टकंनीय त्रुटि है [illegible] से हो गई है। अब इसे [illegible] ठीक करवाया जा सकता [illegible] उपरान्त वादी प्रतिवादी से मिला और उक्त त्रुटि के बारे में बताया और प्रतिवादी से कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned with CamScanner

आप मेरे साथ चलकर इस त्रुटि को सही करवाकर भूमि मेरे नाम दर्ज करवाने में मेरा सहयोग करे तो प्रतिवादी स्पष्ट इन्कारी हो गया। यही वाद कारण है। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादी का दावा स्वीकार कर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री फरमाई जावें कि:- चक 42 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 05/09 की जमाबन्दी को दुरूस्त किया जाकर इस खाता के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आधा, 19, 20,21,22 सालम-सालम कुल 3.162 हैक्टर रकबा में वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर भूमि का लगान वादी के नाम से कायम किया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया। प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार दावा में वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष को स्वीकार कर लिया जावे तो प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। आपकी अति कृपा होगी। वादपत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 15670 दिनांक 16.06.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 42 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 18 के मुरब्बा नम्बर 17, 18 के कुल 9.485 हैक्टर में खाता विभाजन ईन्तकाल संख्या 264 दिनांक 03.02.2006 में गुरशरण सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 18 के 6.325 हैक्टर व अरीदमन सिंह, अजयपाल सिंह पिसरान गुरशरण सिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 17 के 3.162 हैक्टर बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ। आगामी जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 में मुरब्बा नम्बर 17 के 3.162 हैक्टर भूमि के खाता विभाजन में से अजयपाल सिंह का नाम हट गया जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। अतः चक 42 एफ के वर्तमान खाता संख्या 05 में मुरब्बा नम्बर 17/3.162 हैक्टर भूमि को अरीदमन सिंह, अजयपाल सिंह पिसरान गुरशरण सिंह जाति जटसिख को ब.हि.ब. दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा सहमति का होने के कारण पत्रावली में वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा निवेदन करने पर साक्ष्य बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 42 एफ के खाता संख्या 18/20 की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64, चक 42 एफ के खाता संख्या 9/8 की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 की प्रमाणित प्रति, चक 42 एफ के खाता संख्या 5/9 की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 की प्रमाणित प्रति, इन्तकाल संख्या 264 दिनांक 03.02.2006 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 42 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 05/09 में प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में वादी को प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 42 एफ की जमाबन्दी [illegible] के मुरब्बा नम्बर 17, 18 के कुल 9.485 हैक्टर में खाता विभाजन [illegible] 264 दिनांक 03.02.2006 में गुरशरण सिंह पुत्र निरंजन [illegible] के 6.325 हैक्टर व अरीदमन सिंह, अजयपाल सिंह [illegible] के 3.162 हैक्टर बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ। आगामी [illegible] सम्वत 2065 ता 68 में मुरब्बा नम्बर 17 के 3.162 हैक्टर भूमि के खाता विभाजन में अजयपाल सिंह का नाम हट गया जो आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक तक चला आ रहा है। अतः चक 42 एफ के वर्तमान खाता संख्या 05 में मुरब्बा नम्बर 17/3.162 हैक्टर भूमि को अरीदमन सिंह, अजयपाल सिंह पिसरान गुरशरण सिंह जाति जटसिख को ब.हि.ब. दर्ज किया जाना उचित है। वादी के द्वारा प्रस्तुत चक 42 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 में इन्तकाल संख्या 264 जरिए बंटवारा से अरीदमन सिंह, अजयपाल सिंह पिसरान गुरशरण सिंह 250 हिस्सा यानि 3.162 हैक्टर का खातेदार घोषित किया गया है। उसके बाद की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 9/8 में अकेले प्रतिवादी अरीदमन सिंह पुत्र गुरशरण सिंह जाति जटसिख 3.162 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। यह एक लिपिकिय त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 42 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 05/09 में प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में वादी को प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को लिखवाया जाकर प्रशासन आपके द्वार अभियान- 2021, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत 43 जीजी खरलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

अजयपाल सिंह बनाम अरीदमन सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 05/2021

निर्णय दिनांक :- 14.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा, रोशन राठौड पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 42 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 05/09 में प्रतिवादी अरीदमन सिंह के नाम दर्ज कुल 3.162 हैक्टर नहरी भूमि में वादी को प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 14.10.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः राजस्व/ 2021/ 377 दिनांकः 18/10/2021

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Scanned with CamScanner